भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2166
जिसका उत्तर मंगलवार 29 नवंबर, 2016 को दिया जाना है

एनसीएपी परीक्षण

2166. डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में विनिर्मित अधिकतर कारों की ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) परीक्षणों में निम्न रेटिंग्स है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रस्तावित भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनवीएसएपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की बीएनवीएसएपी के अंतर्गत प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं स्थापित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रयोगशालाओं के प्रकार, सुविधाओं और सुविधाओं हेतु प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): यद्यपि, इस मामले में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग में कोई आधिकारिक पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) की वेबसाइट पर भारत में विनिर्मित कारों के कुछ मॉडल्स के बारे में सूचना दी गई है।

(ख): यद्यपि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है, किन्तु यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि विनिर्मित वाहन सुरक्षित हैं, मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1139(ई) तथा दिनांक 03.09.2015 के का.आ. 2412(ई) के माध्यम से नए वाहनों के लिए कई सुरक्षा मानक लागू किए हैं।

(ग) और (घ): जैसा कि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव उस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

******